The Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Sanshodhan Adhiniyam, 2013

Act 19 of 2013

Keyword(s):
Uchcha nyayalaya, Khand Nyaypeeth, Appeal, Chief Justice, High Court

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल 2013—चैत्र 27, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 2837-135-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.--मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक १६ अप्रैल, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक १७ अप्रैल, २०१३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, २००५ (क्रमांक १४ सन् २००६) की धारा २ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द ''४५ दिन'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर अंक तथा शब्द ''९० दिन'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 2838-135-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 19 of 2013.

THE MADHYA PRADESH UCHCHA NYAYALAYA (KHAND NYAYPEETH KO APPEAL) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th April, 2013.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khand Nyaypeeth Ko Appeal) Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), in sub-section (2), for the figure and word "45 days", wherever they occur, the figure and word "90 days" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.